R.B.E. No. 111 /2009
P.C. VI. No. 117/ 2009

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(W) 2004 PS 5-9/1 **New Delhi, dated 17 -06-2009**

The General Managers (P)
All Indian Railways &
Production Units.

Sub: Revised entitlement of Kit Pass on transfer/retirement on the implementation of 6th CPC.

*****

Consequent upon the revision of pay scales on the basis of recommendations of the 6th Central Pay Commission and considering the fact that 4 wheeler wagons have already been phased out, the question of revision of existing entitlement to Kit Pass on transfer/retirement has been under consideration of Ministry of Railways.

2. It has now been decided that in supersession of instructions contained in Board's letter No. E(W) 96 PS 5-9/1 dated 20-06-2000 entitlement in the revised scales of pay under RS(RP) Rules -2008 shall be as under :-

Transportation of Personal Effects

S.No	Grade Pay (1)	By Train (2)
(a)	Railway Servants drawing grade pay of Rs. 7600 and above and those in pay scale HAG + and above	6000 Kgs by goods train plus reimbursement of transport of motor car by road Or One container (40 Feet E.U.) or Two containers (20 Feet E.U.) (including cost of door-to door movement of container) plus reimbursement of transport of motor car by road Or One VPU by passenger carrying trains subject to cut of 20% in the admissible amount of composite transfer grant if a car is carried in the VPU and of 25% if car is not carried.

(b)	Railway Servants drawing grade pay of Rs. 4200, Rs 4600, Rs.4800, Rs 5400 and Rs. 6600	6000 Kgs by goods train plus reimbursement of transport of motor car by road. Or One container (1 TEU) (including cost of door-to door movement of container) plus reimbursement of transport of motor car by road Or One VP/VPU by passenger carrying trains subject to cut of 20% in the admissible amount of Composite Transfer Grant if a car is carried in the VPU and of 25% if car is not carried.
(c)	Railway Servants drawing grade pay of Rs.2800	3000 Kgs of luggage by goods train plus one Motor Cycle/Scooter by Goods train.
(d)	Railway Servants drawing grade pay below Rs. 2800	1500 Kgs of luggage by goods train plus one Motor Cycle/Scooter/Moped/Bicycle by goods train.

NOTES

A. A pass for carrying a dog may also be issued in all cases from (a) to (d) above.

B. The rates for transportation of motor car by road will be at rates laid-down in Board's Letter No. F(E)I/2008/AL-28/15 dtd. 01-12-08.

3. In view of the above, Schedule-I (Duty Pass) in Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (Second Edition, 1993) may be amended as in the ACS No. 64 enclosed.

4. In all other respects, the provisions of Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (Second Edition, 1993) will apply.

5. These orders shall take effect from Ist September, 2008. However, if the Kit Pass entitlements in terms of the revision now prescribed result in a lowering of the existing entitlements in the case of any individual, the existing entitlements, shall not be lowered. They shall continue to be governed by the earlier orders on the subject till such time they become eligible, in the normal course, for the higher entitlements.

6. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Ministry of Railways.

7. Please acknowledge receipt of the letter.

(Debasis Mazumdar)
Joint Director Estt. (Welfare)
Railway Board.

आर.बी.ई.सं. 111 /2009
पी.सी.VI सं. 117/2009

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई (डब्ल्यू)2004 पी एस 5-9/1 नई दिल्ली, दि. 17.06.09

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां.

विषय : छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन में स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति पर सामान (किट) पास की संशोधित पात्रता.

*****

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर वेतनमानों में संशोधन के परिणामस्वरूप और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चौपहिया वेगनों का पहले से ही उपयोग बंद कर दिया गया है, स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति पर सामान (किट) पास के लिए मौजूदा पात्रता के संशोधन का प्रश्न रेल मंत्रालय में विचाराधीन रहा है.

2. अब यह विनिश्चय किया गया है कि बोर्ड के दिनांक 20.6.2000 के पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 96 पी एस 5-9/1 में अनुबद्ध अनुदेशों के अधिक्रमण में आर एस (आर पी) नियम-2008 के अंतर्गत संशोधित वेतनमानों में पात्रता निम्नानुसार होगी :-

<u>वैयक्तिक वस्तुओं का परिवहन</u>

क्र. सं.	ग्रेड वेतन	गाड़ी द्वारा
	(1)	(2)
(क)	वे रेल सेवक जो 7600 रु. और उससे अधिक ग्रेड वेतन ले रहे हैं और वे जो उच्च प्रशासनिक ग्रेड और उससे अधिक के वेतनमान में हैं.	मालगाड़ी द्वारा 6000 कि.ग्रा. और सड़क द्वारा मोटर कार के परिवहन की प्रतिपूर्ति. या एक कंटेनर (40 फुट ई.यू) या दो कंटेनर (20 फुट ई.यू) (कंटेनर के डोर टू डोर संचलन की लागत सहित) और सड़क द्वारा मोटर कार के परिवहन की प्रतिपूर्ति.

		कम्पोज़िट ट्रांसफर अनुदान की ग्राह्य राशि में 20% कटौती और यदि कार को नहीं ले जाया जाता तो 25% की कटौती के अध्यधीन यात्री गाड़ियों द्वारा एक वी पी यू.
(ख)	वे रेल सेवक जो 4200 रु., 4600रु., 4800रु., 5400रु., 6600 रु. ग्रेड वेतन ले रहे हैं.	मालगाड़ी द्वारा 6000 कि.ग्रा. और सड़क द्वारा मोटर कार के परिवहन की प्रतिपूर्ति. या एक कंटेनर (1 टी ई यू) (कंटेनर के डोर टू डोर संचलन की लागत सहित) और सड़क द्वारा मोटर कार के परिवहन की प्रतिपूर्ति. या यदि एक कार को वी पी यू में ले जाया जाता है तो कम्पोज़िट ट्रांसफर अनुदान की ग्राह्य राशि में 20% कटौती और यदि नहीं ले जाता तो 25% की कटौती के अध्यधीन यात्री गाड़ियों द्वारा एक वीपी/वीपीयू.
(ग)	वे रेल सेवक जो 2800 रु. ग्रेड वेतन ले रहे हैं.	मालगाड़ी द्वारा 3000 कि.ग्रा. सामान तथा माल गाड़ी द्वारा एक मोटर साइकिल/स्कूटर
(घ)	वे रेल सेवक जो 2800 रु. से कम का ग्रेड वेतन ले रहे हैं.	मालगाड़ी द्वारा 1500 कि.ग्रा. सामान और मालगाड़ी द्वारा एक मोटर साइकिल/स्कूटर/ मोपेड/ साइकिल

टिप्पणियां :-

क. उपर्युक्त 'क' से 'घ' के सभी मामलों में एक कुत्ते को ले जाने के लिए एक पास भी जारी किया जाए.

ख. सड़क द्वारा मोटर कार के परिवहन के लिए दरें बोर्ड के दिनांक 01.12.08 के पत्र सं. एफ (ई) I/2008/एएल-28/15 में निर्धारित दरों के अनुसार होंगी.

3. उपर्युक्त को देखते हुए, रेल सेवक (पास) नियम1986 (द्वितीय संस्करण, 1993) में अनुसूची I (ड्यूटी पास) को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 64 के अनुसार संशोधित किया जाए.

4. अन्य सभी बातों के संबंध में, रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण, 1993) के उपबंध ही लागू होंगे.

5. ये आदेश 1 सितंबर, 2008 से पभावी होंगे. बहरहाल, यदि किट पास पात्रता अब निर्धारित संशोधन का परिणाम किसी व्यक्ति विशेष के मामले में मौजूदा पात्रताओं की कमी के रूप में होता है तो मौजूदा पात्रताओं को कम नहीं किया जाएगा. वे इस विषय पर पूर्व आदेशों द्वारा अधिशासित होते रहेंगे, जब तक कि वे उच्चतर पात्रताओं के लिए सामान्य रूप से पात्र नहीं हो जाते.

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

7. कृपया इस पत्र की पावती दें.

(देबाशीष मजूमदार)
संयुक्त निदेशक, स्था. (कल्याण)
रेलवे बोर्ड.